फर्द अहकाम
कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी :– श्रीमती पुष्पाकुंवर **विपक्षी :– दौलतसिंह**

किस्म मुकदमा – 128 भू.रा.अधि. **पत्रावली संख्या : 26/18**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक 08.01.2020

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीयां द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। विपक्षी सं. 11 द्वारा अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में प्रार्थीयां द्वारा अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी किया जाने का निवेदन किया। प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थीयां के नाम दर्ज हैं। विपक्षीगण प्रार्थीयां की भूमि के पडोसी खातेदार हैं। प्रार्थनाग्रस्त भूमि की सीमा को लेकर प्रार्थीयां एवं विपक्षीगण के मध्य विवाद बना रहता हैं। विपक्षी सं. 11 द्वारा अपने जवाब में कथन किया है कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि पर विपक्षी सं. 11 का कब्जा है एवं विपक्षी सं. 11 ने उक्त भूमि को खातेदारी कराने के लिए वाद न्यायालय में प्रस्तुत कर रखा हैं। इसलिए पत्थरगढी नहीं की जा सकती हैं। चूंकि प्रार्थनाग्रस्त भूमि की प्रार्थीयां खातेदार हैं। वर्तमान स्थिति को देखते हुए विपक्षी सं. 11 के जवाब अनुसार विपक्षी सं. 11 प्रार्थनाग्रस्त भूमि का खातेदार नहीं होकर मात्र अतिक्रमी हैं। चूंकि भूमि की प्रार्थीयां खातेदार हैं व खातेदार को अपनी भूमि का सीमांकन कराने का पूरा अधिकार हैं। विपक्षी सं. 11 के अनुसार खातेदारी सम्बन्धित व कब्जे सम्बन्धित तथ्यों को इस पत्रावली के माध्यम से तय नहीं किया जा सकता हैं। प्रार्थीयां की दाद केवल मात्र पत्थरगढी व सीमाकंन की हैं जो इस प्रार्थना पत्र के हद में आने से स्वीकार की जा सकती हैं। अतः सीमा को लेकर ही विवाद है इसलिए विवाद समाप्ति के लिए पत्थरगढी किया जाना आवश्यक हैं। अतः प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता हैं।

–: आदेश :–

प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा वाडा वावडी पटवार हल्का जावड की आराजी नम्बर 842 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा भूमि के पूर्व व पश्चिम दिशाओं की सीमा की पत्थरगढी कर सीमाकंन कराया जावें। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार मावली को 500/– पांच सौ रूपया कमिश्नर शूल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि सभी पक्षकारान एवं पडोसी खातेदार की उपस्थिति में पत्थरगढी कराई जाकर पालना प्रस्तुत करे। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जाकर पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। फीस कमिश्नर राशि का भूगतान प्रार्थीगण अदा करेगें।

निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा IAS)
सहायक कलक्टर
(SDO)मावली

Signature Not Verified
Digitally signed by Akshay Godara
Date: 2020.02.07 12:19:32 IST
Reason: SelfAttested